

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकड़ा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

दाद संख्या : 143 / 2520-21 2012
लेख्य प्रकार-

03/11/20

अभिलेख का सधारण E-Court (Revenue) में लवित दाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त दाद से संबंधित अभिलेख का सधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नये भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखक अन्वयंत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर सनाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निर्देशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0न0 नोति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुसूची/निर्देश के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायन की गई जमाबंदियों को जांच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 न0 खास भूमि की जमाबंदी कायन है।

नाम	जाता	खंस्तश	रकबा	जमाबंदीदार	पंजी-2 का पृ0सं0/भाग
कानका रस	01	-	1.05 र0	रैयत का नाम अरुण/मम देव/मम	77/I

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक न उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।

अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बरकड़ा

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074 दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जांच की गई। जमाबंदीदार रैयती द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0 77/I यानां अरुण/मम को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की अंगुर्षा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप सनाहर्ता, बरहौ को भेजें।

अंचल अधिकारी
बरकड़ा

23/11/20

संदेहास्पद जमावदी यावधी जीव प्रतिवेदन

1. संदेहास्पद जमावदी कायम का नाम - बंदाव विधान जिला कौडी विधान
2. जमावदी से संबंधित भूदंड का विवरण - वॉ. २११२

मौजा	खाना नं०	खाना नं०	प्लॉट नं०	खाना
<u>कौ. नं० २११२</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>—</u>	<u>१०५२</u>

3. जमावदी पंजी-11 के जिल्हा नमूना १ मूल नं०-७७ का जमावदी
4. जमावदी किस वर्ष कायम - १९७४-७९
5. खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि का खतियान का नाम - वॉ. २११२
6. किस राकम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमावदी कायम की गई है आदेश वॉ. १०७६
7. यदि संदेहास्पद जमावदी कायमकरण द्वारा संबंधित है तो मूल जमावदी के
8. मूल जमावदी कायम किए गए वर्ष के आधार (अनिश्चित राकम हुकुमनामा/समाप्त निर्धारण/अर्थ मूल्यांकन) —
9. संदेहास्पद जमावदी कायमकरण के जमावदी कायम से जो गई है पंजी-11
10. संदेहास्पद जमावदी में जो

क्र० संख्या ५०३५३६ तारीख २२/३/०७ २००६-०७

22/3/07

22/3/07

22/3/07

संबंधित/अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - ह. प्रान्त - उत्तर प्रदेश
 2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम- श्रीमान श्रीमान श्री. देवकी प्रसाद
 ख) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी-

नौजा	धाना नं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	खतियाना प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>नौजा 298</u>	<u>99</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>104</u>	<u>सो. 244</u>	<u>नौजा को नब बचाने के लिए अवैध भूमि पर के सभी भू-दाखिल पर अतिमान को अंततः हटाया है।</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप- पखर
 4. अवैध जमाबन्दी पंजी II में कब से संधारित है- 1978-79
 5. उक्त जमाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम- निर्दिष्ट नहीं है।
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।
 6. नामान्तरण/दाखिल --खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी के नामलों में नूल जमाबन्दी रैयत की विवरणी-
 7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार
 i) अनिबंधित सादा हुकुननामा X
 ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार) X
 iii) अवैध भू-बन्दावस्ती (वाद सं० के साथ)
 8. सादा हुकुननामा की स्थिति में तथाकथित सादन पट्टा या हुकुननामा में अंकित नूल्य X
 (100/- रुपये कम या इससे अधिक) X
 9. अवैध जमाबन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है- पंजी-II से
 i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से - X
 ii) अंचल /अनुमंडल में संधारित बन्दावस्ती पंजी से - X
 iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - पंजी-IV से
 10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? नहीं
 11. क्या दिनांक दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? नहीं
 12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ल युझारत पंजी में दखल कच्चा अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं
 13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरासा सहित- किसी भी प्रकार के प्रतिवेदन के बिना
 14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरान्त मन्तव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं है। जमाबन्दीदार को अवैध जमाबन्दी के संबंधित दस्तावेजों के बिना पंजी में दर्ज किया जा सकता है।

अंचल अतिरिक्त भूमि सुधार उपनगर, हलां अनुमंडल पदा० अचल जमाबन्दी पदायुक्त